

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

उपाध्यक्ष,

* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9431818346, 9431479774

महासचिव,

* सुशील कुमार
मो० 9431091417



उपाध्यक्ष :-

संयुक्त सचिव:-

कोषाध्यक्ष:-

संयुक्त कोषाध्यक्ष:-

- * सआदत हसब गिन्डो
- * राजेन्द्र राम
- * राजयबन्द वार्डियार
- * अबिल कुमार
- * चन्द्र शेखार सिंह
- * विबोद आबन्द

पत्रांक : 66

दिनांक 22-11-2013

सेवा में,

प्रधान सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

महाशय,

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि के संबंध में।

उपरोक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक-11601 दिनांक-20.10.1982 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करना चाहेंगे। कंडिका (4) वर्णित है कि :-

(क) किसी भी स्तर पर प्रोन्नति हेतु उसके ठीक नीचे के स्तर का उन पदाधिकारियों के बारे में विचार किया जाये जो पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा कर लिये हो। इस कार्रवाई के बाद प्रथम समव्यवहार (First transaction) को बंद समझा जाये।

(ख) प्रथम समव्यवहार (First transaction) के बाद भी यदि प्रोन्नति हेतु रिक्तियाँ बच जाती हैं, तो निर्धारित न्यूनतम कालावधि में उतनी छूट दी जाये जिसके द्वारा बचे हुए पद के अधिक-से-अधिक तीन गुना उम्मीदवार विचार के क्षेत्र के अंदर (Within zone of consideration) आ जाते हों। कालावधि में इस प्रकार की छूट देते समय सामान्य जति के उम्मीदवारों के तुलना में अनु०जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को एक वर्ष की अधिक की छूट मिलेगी।

(ग) इस प्रकार के छूट देकर द्वितीय समव्यवहार (Second transaction) में उम्मीदवारों के विचार के क्षेत्र (Zone of consideration) में लाने के लिए प्रशासी विभाग पहले अपने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात कार्मिक विभाग में मुख्यमंत्री के स्तर से सहमति प्राप्त करेंगे।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 13 में विशेष सचिव का 5 पद एवं संयुक्त सचिव का 58 पद रिक्त है जिससे एक ओर विभिन्न विभागों में इन पदाधिकारियों की कमी के कारण सरकार का कार्य वाधित हो रहा है वही दूसरी ओर 21 वर्ष से 13 वर्ष की सेवाअवधि पूरी होने के बावजूद भी मूल कोटि के पदाधिकारियों का प्रोन्नति नहीं हो पाया है जिससे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के मनोबल पर कुप्रभाव पड़ रहा है एवं उनमें काफी असंतोष है।

संघ का अनुरोध है कि उपरोक्त वार्णित संकल्प के आलोक में कालावधि में छूट प्रदान करते हुए प्रोन्नति दी जाय।
अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाज

३०/११/२०१३
(सुशील कुमार)

महासचिव

बिहार सरकार

कार्यिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

20 अक्टूबर, 1982 ।

विषय - राज्य सेवाओं में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि निर्धारण करने के सम्बन्ध में परिपत्रों में संशोधन ।

1. राज्य सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का निर्णय लागू होने के उपरान्त सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण के बारे में कई संकल्प एवं परिपत्र निर्गत किये गए हैं। उक्षाहरणस्वरूप नीतिमूलक भहत्वपूर्ण कुछ संकल्प एवं परिपत्र निम्न प्रकार हैं :-

- (क) परिपत्र संख्या-9277, दिनांक 29 मई, 1971 जिसके द्वारा सभी विभागों से अनुशासा मांगी गयी थी कि किसी कोटि में प्रोन्नति के लिए उसके ठीक निम्नतर कोटि के पद में कम-से-कम कितने वर्षों की सेवा आवश्यक मानी जायेगी ।
- (ख) परिपत्र 22204, दिनांक 21 दिसम्बर, 1971 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित अवधि के सम्बन्ध में जब तक अतिम निर्णय नहीं हो जाये, तब तक किसी भी पदाधिकारी की प्रोन्नति नहीं हो ।
- (ग) परिपत्र 19108, दिनांक 12 अक्टूबर, 1972 जिसके द्वारा निर्णय लिया गया कि न्यूनतम कालावधि सम्बन्धी निर्णय के केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति पर नहीं, बल्कि सभी गैर-अनु० जातियों पर भी समानरूप से लागू होगा ।
- (घ) परिपत्र संख्या-18303, दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 विसमें यह स्पष्ट किया गया कि अवधि निर्धारण का अधिग्राम्य है कि ऐसा न हो कि कोई सरकारी सेवक समुचित अनुभव प्राप्त किये बिना किसी ऐसे उच्चतर पद पर प्रोन्नति पा जाये जिसका उत्तराधित्व सम्भालने में वे असमर्थ हों ।
- (ङ) परिपत्र संख्या-288, दिनांक 16 मई, 1978 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल अनु० जाति एवं जन-जाति के लिए निर्धारित कालावधि में एक शाल की छूट दी जाये ।

(च) परिपत्र-382, दिनांक 3 अगस्त, 1978 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सामान्य जाति के पदाधिकारियों के लिए प्रोन्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाये। यदि निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा करने वाले व्यक्ति विभाग में उपलब्ध नहीं हों, तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन द्वारा सीधी नियुक्ति से भरा जाये और यदि इसके बाद भी योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, तो पदों को रिक्त रखा जाये।

2. पदों का सूजन विकास तथा अन्य सरकारी कार्यों के लिए प्रयोजन तथा वित्तीय दृष्टिकोण इत्यादि से आवश्यक छानबीन के पश्चात् किया जाता है। अर्थात् निधि का उपबन्ध कर पद के सूजन करने का निर्णय का अर्थ है कि राज्य विधान मंडल के प्रति एवं देशना सम्बन्धी कार्यों के लिए योजना आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के भी प्रति राज्य सरकार जिम्मेवार है तथा वचनबद्ध हो जाता है। पद सूजन करने के पश्चात् यदि राज्य सरकार यह तय करे कि पद को खाली रखा जाय, चौंक आरक्षण सम्बन्धी नीति में वर्णित कालावधि का अक्षरशः अनुपालन किया नहीं जा सकता है, तो उस निर्णय में स्पष्टतः विरोधाभास हो जाता है।

3. आरक्षण सम्बन्धी नीति अपने आप में एक विशेष सराहनीय नीति है। लेकिन यह तय करना है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि पूरा करने वाला उम्मीदवार नहीं उपलब्ध है, अतः न तो कालावधि को घटाया जाये न तो पद को ही भरा जाये। सरकार का विकास तथा अन्य लोकहित से सम्बन्धित कार्यों में अवरोध हो जाता है।

4. अतः मंत्रिपरिषद् के दिनांक 19 अक्टूबर, 1982 के निर्णयानुसार सभी प्रासंगिक पूर्व आदेशों को संशोधित करते हुये निम्नांकित आदेश दिया जाता है :—

(क) किसी भी स्तर पर प्रोन्ति हेतु उसके ठीक नीचे के स्तर का उन पदाधिकारियों के बारे में विचार किया जाये जो पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा कर लिये हों। इस कार्रवाई के बाद प्रथम समव्यवहार (First transaction) को बंद समझा जाये।

(ख) प्रथम समव्यवहार (First transaction) के बाद भी यदि प्रोन्ति हेतु रिक्तियाँ बच जाती है, तो निर्धारित न्यूनतम कालावधि में उतनी छूट दी जाये जिसके द्वारा बचे हुये पद के अधिक-से-अधिक तीन गुना उम्मीदवार विचार के क्षेत्र के अन्दर (Within zone of consideration) आ जाते हों। कालावधि में इस प्रकार की छूट देते समय सामान्य जाति के उम्मीदवारों की तुलना में अनु० जाति/बन जाति के उम्मीदवारों को एक वर्ष की अधिक की छूट मिलेगी।

(ग) इस प्रकार की छूट देकर द्वितीय समव्यवहार (Second transaction) में उम्मीदवारों के विचार के क्षेत्र (zone of consideration) में लाने के लिए प्रशासी विभाग पहले अपने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् कार्यिक विभाग में मुख्यमंत्री के स्तर से सहमति प्राप्त करेंगे।

आदेश - आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति महालेखाकार, लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाये ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय,

आयुक्त एवं सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 ।

ज्ञापांक 11601-का०

प्रतिलिपि सरकार के प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त/जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, राँची/लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय,

आयुक्त एवं सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

बिहार सरकार

कार्यक्रम एवं प्रशासनिक सुधार विषय ।

संकल्प

20 अक्टूबर, 1982 ।

विषय - राज्य सेवाओं में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि निर्धारण करने के सम्बन्ध में परिपत्रों में संशोधन ।

1. राज्य सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का निर्णय लागू होने के उपरान्त सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण के बारे में कई संकल्प एवं परिपत्र निर्गत किये गए हैं। उषाहरणस्वरूप नीतिमूलक महत्वपूर्ण कुछ संकल्प एवं परिपत्र निम्न प्रकार हैं :-

- (क) परिपत्र संख्या-9277, दिनांक 29 मई, 1971 जिसके द्वारा सभी विभागों से अनुशंसा मांगी गयी थी कि किसी कोटि में प्रोन्नति के लिए उसके ठीक निम्नतर कोटि के पद में कम-से-कम कितने वर्षों की सेवा आवश्यक मानी जायेगी ।
- (ख) परिपत्र 22204, दिनांक 21 दिसम्बर, 1971 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित निर्धारित अवधि के सम्बन्ध में जब तक अतिम निर्णय नहीं हो जाये, तब तक किसी भी पदाधिकारी की प्रोन्नति नहीं हो ।
- (ग) परिपत्र 19108, दिनांक 12 अक्टूबर, 1972 जिसके द्वारा निर्णय लिया गया कि न्यूनतम कालावधि सम्बन्धी निर्णय केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति पर नहीं, बल्कि सभी गैर-अनु० जातियों पर भी समानरूप से लागू होगा ।
- (घ) परिपत्र संख्या-18303, दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अवधि-निर्धारण का अभिप्राय है कि ऐसा न हो कि कोई सरकारी सेवक समुचित अनुभव प्राप्त किये बिना किसी श्रेष्ठ उच्चतर पद पर प्रोन्नति प्रा जाये जिसका उत्तरदायित्व सम्भालने में वे असमर्थ हों ।
- (ङ) परिपत्र संख्या-288, दिनांक 16 मई, 1978 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल अनु० जाति एवं जन-जाति के लिए निर्धारित कालावधि में एक साल की छूट दी जाये ।

(च) परिपत्र-382, दिनांक 3 अगस्त, 1978 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सामान्य जाति के पदाधिकारियों के लिए प्रोन्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाये। यदि निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा करने वाले व्यक्ति विभाग में उपलब्ध नहीं हों, तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन द्वारा सीधी नियुक्ति से भरा जाये और यदि इसके बाद भी योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, तो पदों को रिक्त रखा जाये।

2. पदों का सृजन विकास तथा अन्य सरकारी कार्यों के लिए प्रयोजन तथा वित्तीय दृष्टिकोण इत्यादि से आवश्यक ज्ञानबीन के पश्चात् किया जाता है। अर्थात् निधि का उपबन्ध कर पद के सृजन करने का निर्णय का अर्थ है कि राज्य विधान मंडल के प्रति एवं देशना सम्बन्धी कार्यों के लिए योजना आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के भी प्रति राज्य सरकार जिम्मेवार है तथा वचनबद्ध हो जाता है। पद सृजन करने के पश्चात् यदि राज्य सरकार यह तय करे कि पद को खाली रखा जाय, चूंकि आरक्षण सम्बन्धी नीति में वर्णित कालावधि का अक्षरशः अनुपालन किया नहीं जा सकता है, तो उस निर्णय में स्पष्टतः विरोधाभास हो जाता है।

3. आरक्षण सम्बन्धी नीति अपने आप में एक विशेष सराहनीय नीति है। लेकिन यह तय करना है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि पूरा करने वाला उम्मीदवार नहीं उपलब्ध है, अतः न तो कालावधि को घटाया जाये न तो पद को ही भरा जाये। सरकार का विकास तथा अन्य लोकहित से सम्बन्धित कार्यों में अवरोध हो जाता है।

4. अतः मंत्रिपरिषद् के दिनांक 19 अक्टूबर, 1982 के निर्णयानुसार सभी प्रासंगिक पूर्व आदेशों को संशोधित करते हुये निम्नांकित आदेश दिया जाता है :—

(क) किसी भी स्तर पर प्रोन्ति हेतु उसके ठीक नीचे के स्तर का उन पदाधिकारियों के बारे में विचार किया जाये जो पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा कर लिये हों। इस कार्रवाई के बाद प्रथम समव्यवहार (First transaction) को बंद समझा जाये।

(ख) प्रथम समव्यवहार (First transaction) के बाद भी यदि प्रोन्ति हेतु रिक्तियाँ बच जाती हैं, तो निर्धारित न्यूनतम कालावधि में उतनी छूट दी जाये जिसके द्वारा बचे हुये पद के अधिक-से-अधिक तीन गुना उम्मीदवार विचार के क्षेत्र के अन्दर (Within zone of consideration) आ जाते हों। कालावधि में इस प्रकार की छूट देते समय सामान्य जाति के उम्मीदवारों की तुलना में अनु० जाति/बन जाति के उम्मीदवारों को एक वर्ष की अधिक की छूट मिलेगी।

(न) इस प्रकार की छूट देकर द्वितीय समव्यवहार (Second transaction) में उम्मीदवारों के विचार के क्षेत्र (zone of consideration) में लाने के लिए प्रशासी विभाग पहले अपने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् कार्मिक विभाग में मुख्यमंत्री के स्तर से सहमति प्राप्त करेंगे।

आदेश — आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति महालेखाकार, लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय,

आयुक्त एवं सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

ज्ञापांक 11601-का०

पट्टना-15, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 ।

प्रतिलिपि सरकार के प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त/जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, राँची/लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय,

आयुक्त एवं सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।